the limits of what is possible by legislative action by us.

SHRI NIREN GHOSH: Many reports had appeared in the press about the indignities which these workers in the Gulf countries are subjected to. Our Embassies are alive to this and are sending regular reports. Can you detail the indignities they have to suffer or to undergo?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Yes, Sir. Our Embassies are in regular touch with the authorities there and they are rendering all possible assistance in these cases whenever they arise.

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जी को शिकायत की थी कि राजस्थान में सीकर जिले से 34 व्यक्तियों को एक एजेण्ट फुसलाकर दुबाई ले गया, उनसे सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम लिया जाता है । चार-पांच आदमियों के हाथ तोड़ दिए गए है, उनकी हालत खस्ता हो गई है, एक कमरे में उनको बन्द किया जाता है, उनको बाहर आने नही दिया जाता है और न किसी से मिलने दिया जाता है । उनमें से केवल 10 आदमी भागकर आए है उनके लेटर्स मैंने पेश किए हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन आदमियों के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ? क्या उनके साथ इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार और अमानवीय अत्याचार हो रहा है उसके लिए विदेश मंत्रालय कार्यवाही करेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपका पत्र मिलते ही मैंने तुरन्त उसे हमारे एम्बेसेडर के पास भेज दिया है । उन्होंने कार्यवाही शुरू की है, उनके पास से रिपोर्ट आने वाली है । हम आपको पूरी सूचना देंगे जितनी भी जल्दी हो सकेगा ।

कुलियों के बैज नम्बरों का अन्तरण

***575. श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त कुली भारी मुनाफ़ा कमा अपने लायसेंसों को अपने जाली रिश्तेदारों (साले-बहनोई आदि) को अन्तरित कर देते हैं और इसके लिए वे झूठे शपथ-पत्र भरते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के साथ एक बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि कुलियों के लाइसेंस बैज अवैध रूप से 5000 रुपये में बेचे जा रहे हैं, और यदि हां, तो उक्त बैठक की कार्यवाही के सारांश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारी मुनाफा देकर उक्त बैज नम्बर खरीदने वाले कुली यात्रियों से प्रति फेरी 10 रुपये वसूल करके यात्रियों को परेशान करते हैं; और

(घ) उक्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या रेलवे कुलियों, खोमचे वालो तथा बैरों के राष्ट्रीय सघ ने भी रेल अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Some complaints have been received about transfer of badges of licensed porters on false affidavits for monetary consideration.

(b) This matter was raised by the Uttariya Railway Mazdoor Union in the meetings held by the Station Superintendent, Delhi, on 19-12-1977 and 21-1-1978 but the allegation was not accepted.

(c) A few complaints have been received about overcharging by licensed porters appointed both directly and by transfer of badges. The licensed porters concerned have been suitably dealt with.

(d) Railways have taken the following action to prevent transfer of badges on false affidavits:—

(i) Screening Committee consisting of three officers has to accept the affidavits after cross-questioning the nominee;

(ii) In addition to affidavit, a duly stamped certificate of relationship from the Sarpanch of the village of nominee is also insisted upon;

(iii) The specific complaints of false affidavits are being reported to Civil Authorities and C.B.I.; and

(iv) Orders have been issued to cancel the licenses of five licensed porters in whose cases enquiries revealed *prima facie* false affidavits.

Yes, this matter has been brought to the notice of the Administration by the National Federation of Railway Porters, Venders and Bearers.

श्रीमती ऊषा वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि पोर्टर लाइसेंस देने में काफी भ्रष्टाचार होता है और इसके मूल में देरी ही कारण है ? क्या सरकार पोर्टर लाइसेंस देने के बारे में कोई निश्चित अवधि तय करने पर विचार करेगी ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर कोई आयेगी तो हम उसको देखेंगे ।

श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या पोर्टर्स फैडरेशन ने भी इस बारे में शिकायत की है, यदि की है तो उनकी शिकायत के मुद्दे क्या हैं और सरकार की उस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : फैडरेशन वालों ने शिकायत की है और इसके बारे में हमने कदम उठाए हैं । एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसके जरिए एफिडेविट देखा जाएगा और उसके अलावा सरपंच के सर्टिफिकेट की भी हमने मांग की है । उनकी जो भी शिकायतें होंगी, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ दिनों से, खास कर नई दिल्ली स्टेशन पर, बिना लाइसेंस के जो भारवाहक हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है ? क्या इसका कारण यह नहीं है कि लाइसेंसधारियों की संख्या घटा दी गई है ? जितनी वहां जरूरत है, उतने लाइसेंसधारी भारवाहक नहीं हैं । क्या इस दिशा में मंत्री जी ध्यान देंगे कि वास्तव में जितनी जरूरत हैं, उतने लाइसेंस पोर्टर्स वहां बहाल किए जायें ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है, जैसा कि माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान उस तरफ खींचा है, फिर भी इस बात की जानकारी की जाएगी । हमने कभी पोर्टर्स को घटाने की कोशिश नहीं की है, बढ़ाने की ही कोशिश की है ।

श्री रतनसिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस पोर्टर्स की शिकायतों के बारे में काफी कन्फ्यूजन पैदा हुए हैं और कुछ शिकायतें लाइसेंस्ड पोर्टर्स ने भी की हैं । पब्लिक की तकलीफों को मिटाने के लिए, क्या रेलवे मंत्रालय इस प्रपोजल पर विचार करेगा कि सब लाइसेंस्ड पोर्टर्स को रेलवे सर्वेन्ट्स बनाया जाए ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं है । ये लोग रेलवे सर्वेन्ट्स में नहीं आते हैं । लेकिन इनकी जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी सहायता की है ।

श्री रतनसिंह राजदा : मेरा सवाल यह है कि पब्लिक की जो तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए क्या आप उनको गवर्नमेंट सर्वेन्ट बना लेंगे, ताकि यह समस्या दूर हो सके ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह विचार करने के लिए एक सुझाव है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं स्टेशनों पर कुलियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कहीं-कहीं पर बहुत कम है । कुलियों के अतिरिक्त कुछ पोर्टर-टाइप के लोग भी हैं, जो मालगोदामों से माल ढोते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे पोर्टर जो माल ढोते हैं, क्या वे भी कुली हैं ? क्या कुलियों के लिए कोई नियम बनाए गए हैं ? उनके माल वगैरह ढोने का क्या रेट है और किस ढंग से उनका रेट तय है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, जो पोर्टर स्टेशनों पर काम करते हैं, वे लाइसेंस्ड पोर्टर्स होते हैं । बगैर लाइसेंस के वहां किसी पोर्टर को काम करने की इजाजत नहीं मिलती है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुली और लाइसेंस्ड पोर्टर्स में क्या अन्तर है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जो लाइसेंस पोर्टर्स होते हैं, वे नियम के अनुसार स्टेशनों पर काम करते हैं । उन लाइसेंस्ड पोर्टर्स की सुविधाओं के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा काफी सहायता दी है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लाल कपड़ा पहनकर माल वगैरह, अटैची आदि ले जाते

वाले और जो बोरा वगैरह गोदामों से ढोते हैं— इन दोनों कुलियों के बीच में अन्तर क्या है और उनका रेट किस नियम के मुताबिक तय है तथा मंत्रालय ने कोई रेट तय किया है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जो प्लेटफार्म पर पैसेन्जर्स का सामान ढोते हैं, वे लाइसेंस्ड पोर्टर्ज होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे का क्या है ?

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: They are not the porters.

श्रीमती कृष्णा साही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि पोर्टर्स के लिए क्या कोई एज-लिमिट है ? क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि 10-15 वर्ष के बच्चे, स्कूल-गोइंग-चिल्ड्रन , रेलवे स्टेशन्ज पर बिना लाइसेंस के पोर्टर्स का काम करते है ?

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: It has not come to the knowledge of the administration.

श्रीमती कृष्णा साही : वे हमारा सामान उठा कर लाते है और मंत्री महोदय कहते है कि उनको मालूम नहीं है । पचासों लड़के ऐसा काम करते है ।

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: It has not come to the knowledge of the administration. If any specific instances are given, we will look into it.

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस सभ्य युग में विदेशों मे भी कुली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है । इस सभ्य युग मे जब हर आदमी अपने को समाजवादी कहता है, तो वह किसी को अपना नौकर नही बनाना चाहता है । कुली शब्द से ऐसी भावना व्यक्त होती है कि वह कोई निम्न-कोटि का व्यक्ति है । क्या कुली शब्द को बदल कर सहयोगी शब्द का इस्तेमाल किया जायगा ?

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: It is a suggestion for consideration.

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : हम किसी को कुली नहीं कहते हैं, हमारे यहां तो पोर्टर कहा जाता है और पोर्टर ही है । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको सहभोगी बना दिया जाय, तो इस पर विचार कर लेंगे ।

Railway Lines in Gujarat

*577. SHRI AMARSINH V. RATHAWA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of the railway lines proposed to be laid in Gujarat during the next five years;

(b) the area earmarked as backward area, which is to be connected with the railways in Western region; and

(c) when the survey therefor is likely to be made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c). There are the following proposals for railway lines in Gujarat State in the next five years:

(i) and (ii) above rall in the tribal line under construction;

(ii) Madasa-Shamlaji Road BG line under survey; and

(iii) Gandhidham - Bhuj - Lakhpat BG line under survey.

(i) and (ii) above all in the tribal area of Gujarat. As regards item (iii) it is in Kutch area which is also a backward area.

Survey for item (ii) is in progress and the report is expected to be received shortly. As regards item (iii) it has been approved in Railway's Budget for 1980-81 and the survey work will be taken up soon.

श्री अमर सिंह वी० राठवा : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अगले पांच सालों में गुजरात में जो काम किया जाना है, उसके बारे में बताया है । हमारे यहां बड़ौदा जिले और भड़ोच के नजदीक नर्मदा योजना चल रही है, वहां पर माल पहुंचाना बहुत जरूरी है । इस समय बड़ौदा से छोटा उदयपुर नैरोगेज लाइन है जो आदिवासी क्षेत्र से गुजरती है, इसी तरह से भड़ोच से राजपीपला